न्यायालय : तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जबलपुर

(पीठासीन अधिकारी : दीपा पोल)

आर.सी.एस.ए. क्र.	–	122ए / 2017
फाईलिंग नंबर	–	870 / 2017
सी.एन.आर.नं.	–	एम.पी.20010033342017
संस्थित दिनांक	–	03.02.2017
रजिस्ट्रेशन दिनांक	–	06.02.2017
आदेश दिनांक	–	09.05.2024

1. श्री झब्बूलाल, पिता श्री गोरेलाल सोनकर, उम्र–55 वर्ष, व्यवसाय सब्जी बेचना निवासी मौजा समनापुर तहसील तेन्दुखेड़ा, जिला दमोह म.प्र.।
2. महेश उर्फ भीम पिता श्री सोनेलाल सोनकर, आयु 20 वर्ष, व्यवसाय सब्जी बेचना, निवासी म.नं. 335, बड़ी खेरमाई वार्ड, भानतलैया, जिला जबलपुर म.प्र.।
3. राजकुमारी उर्फ राजा पिता श्री नारायणदास सोनकर, आयु 22 वर्ष, व्यवसाय सब्जी बेचना, निवासी म.नं. 334 / 1, बड़ी खेरमाई वार्ड, दुर्गा चौक, जिला जबलपुर म.प्र.।
4. राजकुमार उर्फ राजा पिता श्री जगदीश सोनकर, आयु 35 वर्ष, निवासी म.नं. 332, बड़ी खेरमाई वार्ड, दुर्गा चौक, जिला जबलपुर म.प्र.।

.....वादी

:: विरुद्ध ::

1. सुभाष कुमार सोनकर, आयु 50 वर्ष,
2. महेश कुमार सोनकर, आयु 48 वर्ष,
3. बैजू सोनकर, आयु 39 वर्ष,

9/5/2024

(दीपा पोल)
तृतीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)

4. कन्हैया सोनकर उम्र 38 वर्ष,

   सभी के पिता श्री प्रेमलाल सोनकर, सभी निवासी म.नं. 337, खेरमाई वार्ड, भानतलैया के पीछे, जबलपुर म.प्र.।

5. ओंमकार पिता स्व. श्री बाबूलाल, आयु 64 वर्ष, निवासी हनुमानताल थाने के पीछे, पुलिस क्वार्टर, जबलपुर म.प्र.।

6. नारायण पिता श्री बाबूलाल, आयु 50 वर्ष, निवासी दुर्गा चौक, बड़ी खेरमाई वार्ड, भानतलैया, जिला जबलपुर म.प्र.।

7. त्रिवेणी बाई, पति श्री तीरथ (रिटा. हेड कांस्टेबल), आयु 70 वर्ष, निवासी हनुमानताल पुलिस थाना मजार के पास, हनुमानताल, जिला जबलपुर म.प्र.।

8. लक्ष्मीबाई, पति श्री कल्लू सोनकर, आयु 50 वर्ष, निवासी निवासी पुरानी मछरहाई, पुलिस चौकी के सामने, मिलौनीगंज, जिला जबलपुर म.प्र.।

9. नरेंद्रा उर्फ नरेंद्र पिता स्व. श्री मोतीलाल, आयु 45 वर्ष, निवासी हनुमानताल के पीछे, पुलिस क्वार्टर जिला जबलपुर म.प्र.।

10 गिन्दो बाई बेवा रमेश आयु 50 वर्ष,

11 सुरेंद्र पिता स्व. रमेश, आयु 55 वर्ष,

12 सोनू पिता स्व. श्री रमेश, क.1., 11, एवं 12 निवासी दुर्गा चौक, बड़ी खेरमाई रोड़, भानतलैया, जिला जबलपुर म.प्र.।

13 संगीता पति मुकेश आयु 35 वर्ष,

14. रन्जो, पति श्री किस्सू, आयु 33 वर्ष, क.13 व 14 निवासी हनुमानताल थाना पुलिस क्वार्टर के पीछे, जबलपुर म.प्र.।

.....**प्रतिवादीगण**

9/5/2024

(दीपा पोल)
तृतीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)

::: आदेश :::

(पारित)

(आज दिनांक 09 मई 2024 को ~~घोषित~~)

01. इस आदेश के द्वारा वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का निराकरण किया जा रहा है।

02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण में उक्त आवेदन का निराकर विचारणीन न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2017 को किया गया था जिसके विरूद्ध वादी द्वारा अपील माननीय अष्टम अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर के समक्ष की गई जिसमें माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश निरस्त कर वादग्रस्त स्थल का स्थानीय निरीक्षण कराने के पश्चात् कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर नवीन आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया है। अतः माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन में पुनः आदेश 39 नियम 1 व 2 के आवेदन का कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त कर निराकरण किया जा रहा है।

03. वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, वादीगण ने सबल आधारों पर स्थायी निषेधाज्ञा एवं सुखाधिकार की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है, वादग्रस्त जगह उसके निस्तार, बरसात के पानी के निकास एवं कॉमन पैसेज के रूप में विगत 100 वर्षों से अधिक समय से उपयोग की जा रही है, वह मंदिर में पूजा कर रहे हैं जिसका उन्हें सुखाधिकार प्राप्त है, जिसे प्रतिवादी क0 1 से 4 ने विधि विरूद्ध तरीके से स्व0 बाबूलाल के हक की भूमि से अधिक भूमि क्रय की है, जिस कारण यह दावा पेश किया गया। वादग्रस्त संपत्ति की मूल स्वामी सरसुती बाई सोनकर थी, उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21/3/1950 से इस प्लाट पर बना मकान बाबूलाल सोनकर को विक्रय किया, इस विक्रय पत्र में खुली भूमि को नहीं बेचा गया था परंतु त्रुटिवश गलत रकवा का उल्लेख किया गया, जिस कारण बाबूलाल ने अपने नाम

9/5/2024

(दीपा पोल)
तृतीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)

कुल रकवा 1545 वर्गफुट दर्ज करा लिया। बाबूलाल की मृत्यु के बाद उनके वारसानों द्वारा प्रेमलाल सोनकर के नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन दिनांक 5/5/2000 को किया, जिसमें भी बाबूलाल के द्वारा संपत्ति का वास्तविक स्वामी प्रेमलाल को ही माना गया, मात्र अनुचित लाभ के लिए यह विक्रय पत्र किया गया। वादग्रस्त जगह के दक्षिण दिशा में वादी क0 1 से 4 के मकान बने है, जिनकी छत व छप्पर का पानी नाली से प्लाट नं0 54 की खुली भूमि पर गिरता है, वहां से मंदिर के नीचे से होकर सार्वजनिक नाली में जाता है। इसी प्रकार वादी क0 1 के घर का दरवाजा वादग्रस्त जगह पर खुलता है, जहां से उनका आना–जाना होता है। इन सुखाधिकार को प्रतिवादीगण अवरोध कारित कर रहे हैं। मंदिर में पूजा करने से रोकते है। वादी का वाद प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में है, वादीगण का उपयोग जारी रखने एवं अन्य कार्य यथावत जारी रखने में प्रतिवादीगण को कोई क्षति व असुविधा नहीं है, ऐसे में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत भी वादी के पक्ष में है। अतः वाद के अंतिम निराकरण कर प्रतिवादीगण, वादीगण के सुखाधिकार में अवरोध कारित करने से, वादग्रस्त स्थल का उपयोग, उपभोग, निस्तार, करने से रोकने में अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोके जाने का निवेदन किया है।

04.– प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया है कि, वादीगण को प्रतिवादीगण के उक्त कथित विक्रय पत्रों को चुनौती देने का कोई अधिकार एवं लोकस स्टेन्डाय नहीं है। प्रतिवादीगण वैधानिक रूप से पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से वादग्रस्त भाग के स्वामी है। वादग्रस्त स्थल के बगल में मात्र वादी क0 2 का मकान है, वादी क0 1 के मकान के पीछे खुला भाग है, उसका छप्पर भी आम रास्ते की ओर है। शेष वादीगण वादग्रस्त मकान के आस–पास निवास नहीं करते। वादी क0 1 ने स्वयं का पता समनापुर जिला दमोह लिखा है। वादी क0 3 एवं 4 वादग्रस्त भाग से दूर निवास करते हैं। जिससे दर्शित है कि वह मात्र वादीगण को परेशान करने दावा प्रस्तुत किया है। मंदिर प्रतिवादीगण के परिजनों का निजी मंदिर है, जिसमें उनके अलावा कोई पूजन नहीं करता। प्रतिवादीगण ने अपने भाग का विधिवत् सीमांकन

9/5/2024

(दीपा पोल)
तृतीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)

कराया, जिसमें सूचना के बाद भी वादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की। वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय बिंदु हैः–

1	क्या वादी/आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है ?
2	क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी ?
3	क्या सुविधा का संतुलन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के पक्ष में है?

विचारणीय बिंदु पर सकारण निष्कर्ष–

05. सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या मामला प्रथम दृष्ट्या वादीगण के पक्ष में है। उक्त संबंध में प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य वादग्रस्त संपत्ति की पूर्व स्वामी सरसुती बाई सोनकर होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में पंजीकृत विकयपत्रों दिनांक 21/3/1950 एवं दिनांक 5/5/2000 का निष्पादन होना भी स्वीकृत है किंतु वादीगण ने दिनांक 21/3/1950 के विकयपत्र में गलत रकवा का उल्लेख करना आक्षेपित किया है। उक्त संबंध में विकय पत्र दिनांक 21.03.1950 के अवलोकन से दर्शित है कि उसमें कुल एरिया 1545 लेख है तथा विकय पत्र दिनांक 05. 05.2000 में भी पृष्ठ क.3 पर हस्तांतरित प्लॉट एरिया 1545 वर्गफुट लेख है, जिसमें निर्मित एरिया 200 वर्गफुट लेख है। यही तथ्य उसके नक्शे में भी लेख है। इस कारण प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भाग प्रतिवादी क0 1 से 4 के पंजीकृत विकयपत्रों का भाग होना दर्शित है।

06. जहां तक वादी का यह कहना है कि वादग्रस्त जगह से संलग्न नक्शे अनुसार वादी क.1 लगायत 4 के दक्षिण दिशा में मकान बने

Deepa
9/5/2024

(दीपा पोल)
तृतीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)

हैं जिनकी छत व छप्पर का बरसाती पानी छप्पर के नीचे बनी नाली व जमीन पर बनी नाली पर प्लॉट नम्बर 54 की खुली जमीन पर गिरता है और फिर वहां से बहकर मंदिर के नीचे बनी सार्वजनिक नाली में जाता है, इसका सुखाधिकार वादीगण वे उनके पूर्वजगण को लगभग 100 वर्षो से प्रापत है किंतु उक्त संबंध में वादग्रस्त स्थान का स्थल निरीक्षण कराकर कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिसके अनुसार नजूल ब्लॉक नं. 24 प्लॉट नम्बर 57/3 वादीगण एवं प्लॉट नम्बर 54 प्रतिवादीगण का है और उन दोनों प्लॉट नम्बर के मध्य जमीन के अंदर कोई नाली नहीं होना पाया जाना लेख है। साथ ही यह भी लेख है कि प्लॉट नम्बर 57/3 वादीगण के निर्मित मकान के उत्तर दिशा में मकान का बरसाती पानी उपरी सतह से निकलता है लेकिन मौका पर नाली की कोई स्थायी संरचना नहीं बनी है एवं नाली निर्मित न होने से उसकी लम्बाई, चौड़ाई व गहराई भी नहीं बताई गई है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारायह बताया गया है कि बरसात के पानी की निकासी उक्त नाली से होती है बल्कि कमीशन रिपोर्ट में कोई नाली नहीं होना बताया गया है जिससे यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा नाली व बरसाती पानी के संबंध में पूर्ण तथ्य न बताकर यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा वादी स्वच्छ हांथो में नहीं आया है।

07. इस संबंध में वादी कीओर से प्रस्तुत छाया चित्रों से भी प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट है कि, वह दरवाजा ना होकर मात्र बड़ी खिड़की है, जिसका आवागमन के लिए उपयोग किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। साथ ही यह भी प्रथम दृष्टया प्रकट है कि, वादी क0 2 का मकान स्वतः ही आम रास्ते से लगा हुआ है, तब वादग्रस्त भूमि पर से होकर आने जाने का प्रश्न इस अवस्था में अस्वाभाविक प्रकट हो रहा है।

08. जहां तक शेष वादीगण का प्रश्न है उनके मकान का वास्तविक आवागमन या निस्तार वादग्रस्त भाग से नहीं है। उक्त संबंध में उनका उक्त वादग्रस्त भाग से आवागमन या निस्तार होने के संबंध में कोई उल्लेखनीय दस्तावेज नहीं है तथा प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है कि, सभी वादीगण के पास अपने भवन के उपयोग, आवागमन का पृथक रास्ता एवं

9/5/2024
(दीपा पोल)
तृतीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)

निकास मौजूद है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के अपने सुखाधिकार के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई आधार या दस्तावेज प्रकट नहीं किये हैं। इसके विपरीत वादीगण के पास वादग्रस्त संपत्ति के हक के संबंध में वैध एवं पंजीकृत दस्तावेज है जबकि प्रतिवादीगण नेपंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है। स्थल निरीक्षण के प्रतिवेदन से भी कहीं भी पानी की नाली का कोई उल्लेख नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

09. वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सुखाधिकार को सुरक्षित रखने के बावत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत "उमराह खातून वि0 मो0 जफीर खान एवं अन्य, ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 1315" एवं "सरस्वती एवं अन्य वि0 गनपथी एवं अन्य, ए 0आई0आर0 2001 एस0सी0 1844" तथा माननीय म0 प्र0 उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत " नाथू वि0 फकरूद्दीन, 1982 म0प्र0वी0नो0नोट नं0 121" प्रस्तुत किये हैं। इन न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत अनुकरणीय है, परंतु जहां वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में नहीं पाया गया हो। साथ ही वर्तमान प्रक्रम की तथ्य व परिस्थितियों में उपरोक्त तथ्यों के कारण उक्त न्यायदृष्टांतों का लाभ वादी को प्राप्त होना दर्शित नहीं हेाता है।

10. जहां प्रकरण में वादीगण अपना मामला प्रथम दृष्ट्या स्थापित नहीं कर पाये हैं।ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उन्हें कोई अपूर्णीय क्षति होना भी प्रथम दृष्ट्या दर्शित नहीं है। सुविधा को संतुलन भी वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के पक्ष नहीं पाया जाता है।

21/5/2024

(दीपा पोल)
तृतीय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)

11. अतः वादीगण उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तीनों सिद्धांत स्वयं के पक्ष में स्थापित नहीं कर पाये हैं अतः उनका उक्त आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

जबलपुर
दि.09.05.2024

मेरे निर्देशन में टंकित

(दीपा पोल)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
जबलपुर (म.प्र.)